✓ प्र०सं० - 17/2021

SDO BHL

मोहन सिंह V/S मदन सिंह अन्य

आनलाईन - 2021/64

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
21/2/22	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रार्थी/अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act का स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर पत्रावली शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी, ओम प्रभा आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 17/2021

उनवान

1. श्री मोहन सिंह उर्फ लाल सिंह पुत्र रामचन्द्र दरोगा निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा

वादी/प्रार्थी

बनाम

1. श्री मदन सिंह पुत्र रामचन्द्र दरोगा निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा
2. श्रीमति ग्यारसी देवी पत्नी सत्यनारायण दरोगा निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा
3. श्री प्रेम सिंह पुत्र सत्यनारायण दरोगा निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा
4. श्रीमति गोविन्द कंवर पुत्री सत्यनारायण दरोगा निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा
5. श्रीमति प्रेम देवी पत्नि कान सिंह दरोगा निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा
6. श्री लच्छु सिंह पुत्र कान सिंह दरोगा निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा
7. श्रीमति अन्तिम बाला पुत्री कान सिंह दरोगा निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा
8. श्रीमति नितु पुत्री कान सिंह दरोगा निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा
9. राजसथान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए सपठित धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट</u>

<u>उपस्थित</u>

1. श्री अमित कोठारी अधिवक्ता वादी/प्रार्थी

<u>निर्णय</u>

<u>21.02.2022</u>

वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पांसल तहसील भीलवाडा के आराजी संख्या 2862, 2863 कुल किता 02 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 08 सहखातेदार काश्तकार होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त आराजी में वादी का 1/4 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 04 का 1/4 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 05 से लगायत 08 का 1/4 हिस्सा निहित है तथा इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 08 मौके पर काबिज हो काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादी का नाम मोहन सिंह उर्फ लाल दरोगा है तथा वादी को बोलते नाम लाल सिंह दरोगा कहा जाता है इसी बोलते नाम के आधार पर वादी का नाम राजस्व जमाबन्दी में लाल सिंह दरोगा अंकित कर दिया गया जबकि वादि का आधार कार्ड में नाम मोहन सिह है इस प्रकार राजस्व जमाबन्दी में हुई त्रृटि को धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत संशोधित किया जाकर राजस्व जमाबन्दी में वादी का नाम मोहन सिंह उर्फ लाल सिंह अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

वादी/प्रार्थी का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण/ अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये अप्रार्थी संख्या 01, 03, 06 दिनांक 08.11.2021 को उपस्थित हुए वादी एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा दिनांक 29.11.2021 को प्रस्तुत किया राजीनामा में लालसिंह पिता रामचन्द्र दरोगा का नाम मोहन सिंह उर्फ लाल सिंह पुत्र रामचन्द्र दरोगा निवासी पांसल राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करने में सहमति प्रकट की है। वादी/प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, जनआधार कार्ड एवं ग्राम पंचायत पांसल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है राशन कार्ड की प्रति, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थी का नाम मोहन सिंह पुत्र रामचन्द्र दरोगा अंकित है। इस प्रकार वादी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य ठहरता है।अतः एवं

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का राजीनामा दिनांक 29.11.2021 अनुसार एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड की फोटो प्रति, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र की फोटो प्रति के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम पांसल की जमाबन्दी में अंकित आराजी नम्बर 2862, 2863 कुल किता 02 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा भूमि में प्रार्थी का नाम लालसिंह पिता रामचन्द्र दरोगा निवासी भीलवाडा हॉल पांसल के बजाय मोहन सिंह उर्फ लाल सिंह पुत्र रामचन्द्र दरोगा निवासी भीलवाडा हॉल पांसल संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त संशोधन का राजस्व रेकार्ड में तहसीलदार भीलवाडा अंकन करे। वादी/प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के संबंध में उक्त संशोधन के पश्चात राजस्व रेकार्ड के अनुसार धारा 53 आर. टी.ए. का वादपत्र पृथक से प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। निर्णय की प्रति तहसीलदार भीलवाडा को प्रेषित करे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा